

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1(5) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2023/5576

जयपुर, दिनांक 21.11.2023

अधिसूचना

वर्षा की कमी, सतही जल और भू-जल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति एवं भारत सरकार द्वारा तैयार Drought Portal(Vedas.ac.gov.in) से प्राप्त सूचनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए खरीफ फसल वर्ष 2023 (संवत् 2080) में सूखे के कारण अभाव से प्रभावित क्षेत्रों का भारत सरकार द्वारा जारी सूखा प्रबन्धन संहिता 2016 के आधार पर आंकलन कर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 13 जिलों के आगे अंकित तहसीलों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान निम्न लिखित तहसीलों के सूखाग्रस्त ग्रामों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 06 माह तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	जिला	सूखे से फसल खराबे वाली तहसीलों की संख्या	गम्भीर सूखाग्रस्त तहसीलों के नाम	मध्यम सूखाग्रस्त तहसीलों के नाम
1	अजमेर	01	1.किशनगढ	
2	ब्यावर	01		1.व्यावर
3	बाडमेर	11	1. बाडमेर (ग्रामीण) 2. धनाऊ 3. गडरा रोड़ 4. बाटाडू 5. रामसर 6. गुड़ामालानी 7. बाडमेर 8. धोरीमना 9. नोखड़ा	1. सेडवा 2. चौहटन
4	बालोतरा	07	1. गिडा 2. पचपदरा 3. बायतू 4. सिणधरी 5. सिवाना 6. कल्याणपुर 7. समदडी	
5	बीकानेर	02	1. लूणकरनसर	1. नोखा
6	चूरू	01	1. बीदासर	

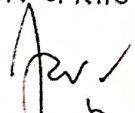
7	डूंगरपुर	01	1. सागवाड़ा	
8	दूदू	02	1. दूदू	1. मौजनाबाद
9	जैसलमेर	06	1. फतेहगढ़ 2. पोकरण 3. फलसूण्ड	1. सम 2. भणियाणा 3. रामगढ़
10	जोधपुर	01	1. जोधपुर	
11	जोधपुर (ग्रामीण)	09	1. कुडी भगतासनी 2. लूणी 3. भोपालगढ़ 4. बिलाड़ा 5. झंवर 6. पीपाड़ शहर	1. तिंवरी 2. ओंसिया 3. बावड़ी
12	फलौदी	04	1. लोहावट 2. घंटियाली	1. फलौदी 2. सेतरावा
13	नागौर	02		1. नागौर 2. डेगाना
योग:-		48	33	15

राज्यपाल की आज्ञा से

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव

कमांक: एफ 1(5) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2023/5577-5618 जयपुर, दिनांक 21.11.2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता केबिनेट/राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मंत्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वा. अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
13. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
16. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
17. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
18. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जयपुर एवं जोधपुर, राज।
19. जिला कलेक्टर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, बाडमेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर (ग्रामीण), फलौदी एवं नागौर, राजस्थान।
20. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
21. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
22. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण।
23. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
24. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
25. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


उप शासन सचिव